OS 1148/20

भारतीय कोर्ट फी

भारत 500 रु. पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA Rs.500 FIVE HUNDRED RUPEES

INDIA COURT FEE

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

551059

महोदय इस वाद पर स्टाम्प टिकट ... गया है।

24-V-20

रवीन्द्र कुमार यादव

बनाम

हरिओम गुप्ता

स०वाद मा० -

दि० 21.9.20

1148

20

21-9-20

धारा 2–यह कि वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी दिया जा रहा है जो ...

3क/2

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष संख्या—15 महोदय सुलतानपुर

रवीन्द्र कुमार यादव उम्र लगभग 42 वर्ष सुत राम कृपाल निवासी ग्राम इकसारा पोस्ट शाहगढ़ तहसील गौरीगंज, परगना व जिला अमेठी ———— ————वादी

बनाम

हरिभजन गुप्ता उम्र लगभग 50 वर्ष सुत साधुराम निवासी ग्राम इकसारा, पोस्ट शाहगढ़ तहसील गौरीगंज परगना व जनपद अमेठी————————प्रतिवादी

सा0वा0सं0— /2020

दायरा तिथि—

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष संख्या—15 महोदय सुलतानपुर
रवीन्द्र कुमार यादव————बनान————हरिभजन गुप्ता
सा0वा0सं0— /2020 दायरा दिनॉक—

स्थायी ब्यादेश हेतु वाद पत्र

महोदय,

प्रार्थी/वादी निम्नवत विनयी है—

धारा 1—यह कि वादी ग्राम ग्राम इकसारा पोस्ट शाहगढ़ तहसील गौरीगंज, परगना व जिला अमेठी का मूल निवासी है जो कि अपने पूर्वजो के क्रम से है तथा उक्त ग्राम में ही घर, घूर खेती बारी मकान, दरख्तान, सेहन, उपली कण्डा पाथना जानवर आदि बाधना कृषि का सामान रखना पुवाल, फसल आदि स्थित है।

धारा 2—यह कि वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी दिया जा रहा है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है। नक्शा नजरी में विवादित भूमि को सुर्ख लालरंग की रेखाओ से घेरकर अक्षर अ, ब, स, द, से दर्शित किया गया है।

धारा 3–यह कि विवादित भूमि की लम्बाई 20 फिट तथा चौड़ाई 20 फिट है तथा विवादित भूमि की चौहद्दी पूरब बाउण्ड्रीवाल 4 फिट बादहू खडन्जा मार्ग, पश्चिम तेजपाल यादव की चक, उत्तर मकान वादी, दक्षिण बाउण्ड्रीवाल बादहू अल्पिका नहर दक्षिन गॉव है।

धारा 4–यह कि विवादित भूमि गॉव की आवादी में स्थित है जिसमें वादी का एक पोख्ता मकान संख्या– 102 स्थित है तथा मकान में तीन तरफ से बाउण्ड्री 4 फिट बनी हुई है तथा उसमें शौचालय बना हुआ तथा वादी का 60 वर्ष पुराना गूलर का पेड़ स्थित है। स्थल की फोटो मय बाउण्ड्री दरख्तान शौचालय संलग्न दावा है।

धारा 5–यह कि विवादित स्थल पर वादी का शौचालय बना हुआ है बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा वादी के मकान व सेहन का जुज भाग है जहॉ पर वादी के परिवार का उठना बैठना पुआल रखना उपली कण्डा पाथना, जानवर बाधना आदि अन्य कृषि कार्य करना स्थित है जो वादी के मकान दरवाजा जानिब पश्चिम के 15 फिट दूरी पर स्थित है।

धारा 6–यह कि वादी एक सीधा साधा कानून कायदे में विश्वास करने वाला कम पढ़ा लिखा गरीब व्यक्ति है तथा गॉव में कम आवादी वाला व्यक्ति है तथा प्रतिवादी एक सरहंग भूमाफिया किश्म का राजनीतिक प्रभावशाली, धनबल वाला व्यक्ति है तथा गॉव की आवादी में बहुतायत संख्या वाला व्यक्ति है जिसकी नियति वादी के जमीन पर हमेशा खराब रहती है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष संख्या–15 महोदय सुलतानपुर
रवीन्द्र कुमार यादव————बनाम————हरिभजन गुप्ता
मा0वा0सं0–— /2020 दायरा दिनाँक—

धारा 7–यह कि वादी विवादित जमीन पर अपने पूर्वजो के क्रम से है जो कि जमींनदारी उनमूलन अधिनियम के पूर्व से काबिज व दखील है तथा उपभोग उपयोग करता चला आ रहा है। जो कि वह जमीन उसमें सेटिल्ड हो चुकी है और वादी उसका असल मालिक हो चुका है तथा विवादित भूमि पर वादी का कब्जा व निर्माण है और शौचालय व बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है जब कि प्रतिवादी का विवादित स्थल से कोई लेना देना नही है उसका मकान गॉव की आवादी में विवादित स्थल से लगभग 100 मीटर दूर स्थित है तथा विवादित स्थल पर प्रतिवादी का कभी क्षण भर के लिए भी कब्जा दखल नही रहा है।

धारा 8–यह कि विवादित स्थल खडन्जा मार्ग के बगल स्थित होने के कारण कीमती होने के कारण प्रतिवादी की नियत उस पर हमेशा खराब रहती है जिसके क्रम में दिनॉक–16.09.2020 को प्रतिवादी जे0सी0बी0 मशीन लेकर तथा अपने 8–10 अराजक साथियो के साथ हाथ में फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर विवादित स्थल पर आये और वादी की बाउण्ड्रीवाल गिराने लगे तथा जे0सी0बी0 मशीन द्वारा गढ्ढा खोदकर शौचालय गिराकर नीव खोदने का प्रयास करने लगे। वादी ने जब मना किया तो मार पीट करने का प्रयास करने लगे तब वादी ने आस पड़ोस के तमाम सम्भ्रान्त लोगो को इक्ट्ठा किया तब जाकर प्रतिवादी माने किन्तु प्रकरण का निस्तारण करने से साथ इन्कार कर दिया और धमकी दिया कि शीघ्र ही वह शौचालय व बाउण्ड्री की दीवाल तोड़कर पक्का निर्माण करेगे कब्जा कर लेगे। तब यह दावा हाजा दायर करने की नितान्त आवश्यकता हुई।

धारा 9–यह कि वाद का मूल कारण दिनॉक–16.09.2020 को वादी की बाउण्ड्रीवाल तोड़ने तथा शौचालय तोडने व नींव खोदकर जबरदस्ती पक्का निर्माण कर कब्जा कर लेने की धमकी देने के कारण ग्राम इकसारा पोस्ट शाहगढ़ तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी में पैदा हुआ जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।

धारा 10–यह कि वादग्रस्त भूमि की कीमत व पक्के निर्माण शौचालय व बाउण्ड्रीवाल की बाजारी कीमत मु0–5,50,000/रुपये कायम की जाती है चूँकि वाद स्थायी व्यादेश का है जिसका आधा 2,75,000/रुपये होता है चूँकि दावा स्थायी व्यादेश का है जिस पर वास्ते सुनवाई अधिकतम न्याय शुल्क 500/रुपये अदा किया जाता है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष संख्या–15 महोदय सुलतानपुर
रवीन्द्र कुमार यादव——बनाम——हरिभजन गुप्ता
मा0वा0सं0– /2020 दायरा दिनॉक–

<u>याचना</u>

वादी निम्न याचना का विनयी है–

अ–डिक्री स्थाई ब्यादेश बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की प्रदान की जावे कि प्रतिवादी को हमेशा–हमेशा के लिए मना कर दिया जाय कि विवादित भूमि बरंज सुर्ख लाल अक्षर अ, ब, स, द नक्शा नजरी के पर स्थित ग्राम इकसारा परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला अमेठी उ0प्र0 वादी के शान्तिपूर्ण

अध्यासन व कब्जा व दखल में व्यवधान पैदा न करे न ही और न ही बाउण्ड्रीवाल व शौचालय तोड़े न ही कोई गैर कानूनी कार्य करे।

ब--खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाय।

स--अन्य याचना जो न्यायोचित व न्यायसंगत हो वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाय।

विवरण वाद भूमि

सराहत आराजी ग्राम इकसारा पोस्ट शाहगढ़ तहसील गौरीगंज परगना व जनपद अमेठी उ0प्र0 संलग्न नक्शा नजरी में लाल लकीर से घेरकर अक्षर अ, ब, स, द से दिखाई गयी है।

विवादित भूमि की चौहद्दी

पूरब बाउण्ड्रीवाल 4 फिट बादहू खडन्जा मार्ग, पश्चिम तेजपाल यादव की चक, उत्तर मकान वादी, दक्षिण बाउण्ड्रीवाल बादहू अल्पिका नहर दक्षिन गॉव है। विवादित स्थल की लम्बाई और चौड़ाई 20X20 फिट है।

प्रार्थी

रवीन्द्र कुमार

रवीन्द्र कुमार यादव सुत राम कृपाल

निवासी ग्राम इकसारा पोस्ट शाहगढ़

तहसील गौरीगंज, परगना व जिला अमेठी

द्वारा

अधिवक्ता 21.9.20

दिनॉक--21.9.20

मै वादी स्वयं तस्दीक करता हूँ कि वाद पत्र धारा 1 ता 9 मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है इसमें न तो कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है और धारा 10 व याचना के सही होने की उम्मीद करता हूँ। सच बोलने में ईश्वर मेरी मदद करे तस्दीक स्थान दीवानी न्यायालय सुलतानपुर।

तस्दीक दिनॉक 21.9.20

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष संख्या--15 महोदय सुलतानपुर

रवीन्द्र कुमार यादव——————बनाम——————हरिभजन गुप्ता

मा0वा0सं0— /2020 दायरा दिनॉक—

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रवरखण्ड) महोदय कक्ष सं० 15 सुलतानपुर

3A/6

रवीन्द्र कुमार यादव ———————————— वादी

बनाम

हरिभजन गुप्ता ———————————— प्रतिवादी

मूल वाद सं० —

दायरा तिथि —

नक्शा नजरी

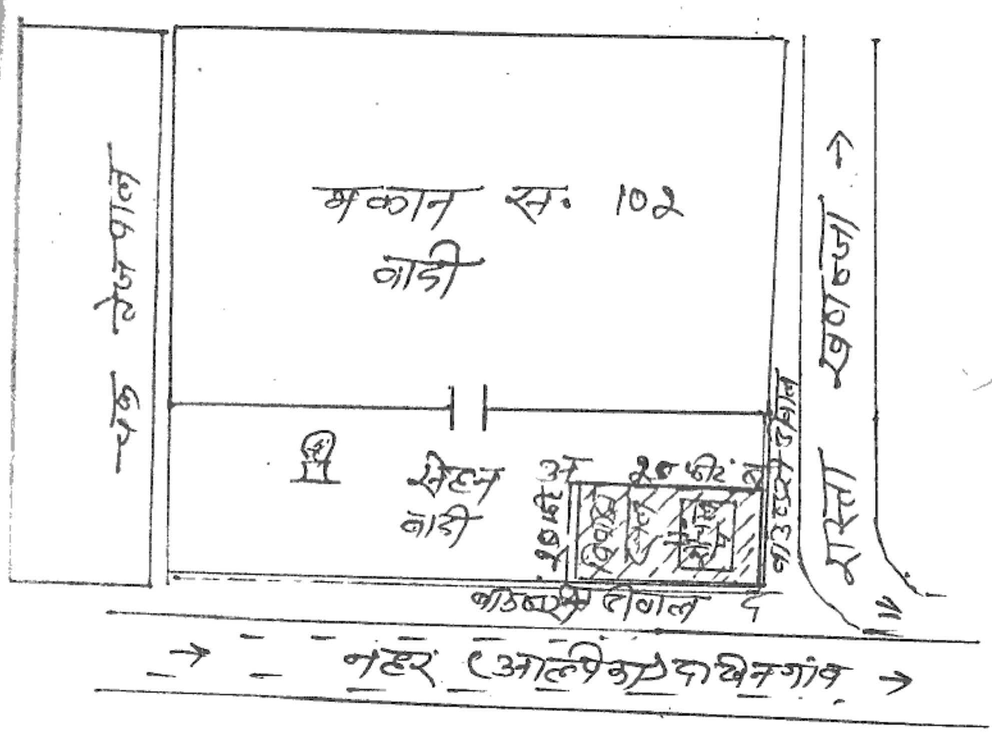

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं० 15 सुलतानपुर
रवीन्द्र कुमार यादव —— बनाम —— हरिभजन गुप्ता
मूलवाद सं० — दिनांक — 21.9.20

संकेत :

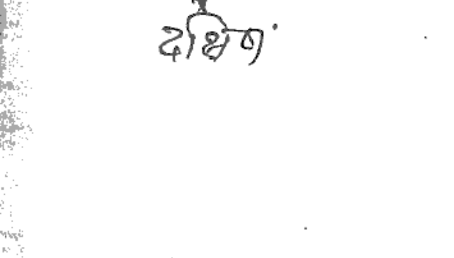

रवीन्द्र कुमार

प्रार्थी

रवीन्द्र कुमार यादव

(वादी)

द्वारा

21.9.20

अधिवक्ता

दिनांक - 21.9.20

२८

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं0
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या– 1148/2020

रवीन्द्र कुमार यादव बनाम हरिभजन गुप्ता

दिनांक 21/09/2020

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ। मुन्सरिम आख्या का अवलोकन किया ।

आदेश

मूलवाद के रूप मे पंजीकृत हो । वाद दिनांक 21/10/2020 को वास्ते बयान तहरीरी एंव दिनांक 28/10/2020 को वास्ते निश्चित किये जाने वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी ... दिन में करें।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),
कक्ष सं0–15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश ... जा0दी0 ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम ... गया ।

22.09.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या–15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या–1148/2020
रवीन्द्र कुमार-----बनाम------हरिभजन।

दिनांक–22.09.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र को अपने मकान संख्या 102 से संलग्न सेहन भूमि होना कहा है और कथन किया है कि प्रतिवादी का वाद भूमि से कोई संबंध नहीं है वह जबरदस्ती वाद भूमि पर कब्जा करना चाहता है। वादी द्वारा सूची 9ग1 से विवादित भूमि का फोटोग्राफ 12ग1/1 ता 12ग1/3 प्रस्तुत किया गया है। नक्शा वाद पत्र में वादी द्वारा मकान संख्या 102 के दक्षिण स्थित सेहन के दक्षिण –पूरब कोने पर विवादित भूमिखण्ड को दिखाया गया है जिसमें वादी का सौचालय होना दर्शित है जबकि प्रस्तुत स्थल फोटो में विवादित भूमिखण्ड सौचालय के पीछे होना दर्शित है एवं वादी द्वारा स्वत्व से संबंधित कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसे में मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादी को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 21.10.2020 को पेश हो।

22.09.20
(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

22.09.20
(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

01-10-20 - 156(3) प्रार्थना पत्र विरुद्ध [illegible] नजदीक [illegible] द्वारा प्रस्तुत किया गया।

आदेश

156(3) प्रार्थना पत्र स्वीकृत। पत्रावली आज दिनांक 01-10-20 को विधि निहित किया जाता है।

[signature]

C.M.J.

न्यायालय सिविल जज (प्र0 ख0)– कक्ष संख्या–15, सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या–1148/2020
रवीन्द्र कुमार–––––बनाम–––––हरिभजन गुप्ता।

दिनांक–01.10.2020

प्रार्थना पत्र दिनांकित 01.10.2020 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त दावा प्रार्थी ने दिनांक 21.09.2020 को योजित किया था किन्तु दावा कमी/त्रुटि रह जाने के कारण प्रार्थी अपने दावा को वापस लेना चाहता है। प्रार्थी की जानकारी के अभाव के कारण दावा में कमी रह गयी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को दावा वापस लिये जाने व पुनः वाद संस्थित किये जाने की अनुमति प्रदान करने की महती कृपा करे।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। उक्त वाद प्रस्तुत करते समय कुछ कमी/त्रुटि रह जाने के कारण वादी मुकदमा वाद वापस लेना चाहता है। अतः ऐसे में प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 01.10.2020 स्वीकार किया जाता है। वादी को पुनः वाद संस्थित करने की अनुमति के साथ दावा उठाने की अनुमति दिया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार वाद वापस कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करे।

01.10.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष संख्या–15,
सुलतानपुर।

भारतीय कोर्ट फी

भारत 500 रु. पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA Rs.500 FIVE HUNDRED RUPEES

INDIA COURT FEE

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

551155

OS - 1301/20

धारा 2 यह कि वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी दिया जा रहा है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है। नक्शा नजरी में विवादित भूमि को सुर्ख लालरंग की रेखाओ से घेरकर अक्षर अ, ब, स, द, से दर्शित किया गया है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष संख्या–15 महोदय सुलतानपुर

रवीन्द्र कुमार यादव उम्र लगभग 42 वर्ष सुत राम कृपाल निवासी ग्राम इकसारा पोस्ट शाहगढ़ तहसील गौरीगंज, परगना व जिला अमेठी ———————————वादी

बनाम

हरिभजन गुप्ता उम्र लगभग 50 वर्ष सुत साधुराम निवासी ग्राम इकसारा, पोस्ट शाहगढ़ तहसील गौरीगंज परगना व जनपद अमेठी————————————प्रतिवादी

सा0वा0सं0— /2020

दायरा तिथि–

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष संख्या–15 महोदय सुलतानपुर
रवीन्द्र कुमार यादव————बनाम————हरिभजन गुप्ता
सा0वा0सं0— /2020 दायरा दिनॉक–

<u>स्थायी ब्यादेश हेतु वाद पत्र</u>

महोदय,

प्रार्थी/वादी निम्नवत विनयी है–

धारा 1–यह कि वादी ग्राम ग्राम इकसारा पोस्ट शाहगढ़ तहसील गौरीगंज, परगना व जिला अमेठी का मूल निवासी है जो कि अपने पूर्वजो के क्रम से है तथा उक्त ग्राम में ही घर, घूर खेती बारी मकान, दरख्तान, सेहन, उपली कण्डा पाथना जानवर आदि बाधना कृषि का सामान रखना पुवाल, फसल आदि स्थित है।

धारा 2–यह कि वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी दिया जा रहा है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है। नक्शा नजरी में विवादित भूमि को सुर्ख लालरंग की रेखाओ से घेरकर अक्षर अ, ब, स, द, से दर्शित किया गया है।

धारा 3–यह कि विवादित भूमि की लम्बाई 25 फिट तथा चौड़ाई 20 फिट है तथा विवादित भूमि की चौहद्दी पूरब बाउण्ड्रीवाल 6 फिट बादहू खडन्जा मार्ग, पश्चिम तेजपाल यादव की चक, उत्तर मकान वादी, दक्षिण बाउण्ड्रीवाल बादहू आल्पिका नहर दक्षिन गॉव है।

धारा 4–यह कि विवादित भूमि गॉव की आवादी में स्थित वादी के मकान सं0–102 का सेहन है जो चारो तरफ से 6 फिट बाउण्ड्री से घिरा हुआ है जिसके अन्दर उसका पक्का शौचालय बना हुआ है तथा वादी का 60 वर्ष पुराना गूलर का पेड़ स्थित है तथा उसी सेहन को रास्ते के रुप में उपयोग करके वादी व उसका परिवार पक्की सड़क पर जाता है।

धारा 5–यह कि विवादित स्थल पर वादी का शौचालय बना हुआ है बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा वादी के मकान व सेहन का सेहन है जहॉ पर वादी के परिवार का उठना बैठना पुआल रखना उपली कण्डा पाथना, जानवर बाधना आदि अन्य कृषि कार्य करना स्थित है जो वादी के मकान दरवाजा जानिब पश्चिम के 15 फिट दूरी पर स्थित है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0खं0) कक्ष संख्या–15 महोदय सुलतानपुर
रवीन्द्र कुमार यादव——————बनाम——————हरिभजन गुप्ता
मू0वा0सं0– /2020 दायरा दिनॉक–

धारा 6–यह कि वादी एक सीधा साधा कानून कायदे में विश्वास करने वाला कम पढ़ा लिखा गरीब व्यक्ति है तथा गॉव में कम आवादी वाला व्यक्ति है तथा प्रतिवादी एक सरहंग भूमाफिया किश्म का राजनीतिक प्रभावशाली, धनबल वाला व्यक्ति है तथा गॉव की आवादी में बहुतायत संख्या वाला व्यक्ति है जिसकी नियति वादी के जमीन पर हमेशा खराब रहती है।

धारा 7–यह कि वादी विवादित जमीन पर अपने पूर्वजो के क्रम से है जो कि जमीनदारी उनमूलन अधिनियम के पूर्व से काबिज व दखील है तथा उपभोग उपयोग करता चला आ रहा है। जो कि वह जमीन उसमें सेटिल्ड हो चुकी है और वादी उसका असल मालिक हो चुका है तथा विवादित भूमि पर वादी का कब्जा व निर्माण है और शौचालय व बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है जब कि प्रतिवादी का विवादित स्थल से कोई लेना देना नही है उसका मकान गॉव की आवादी में विवादित स्थल से लगभग 100 मीटर दूर स्थित है तथा विवादित स्थल पर प्रतिवादी का कभी क्षण भर के लिए भी कब्जा दखल नही रहा है।

351/4

धारा 8—यह कि विवादित स्थल खडन्जा मार्ग के बगल स्थित होने के कारण कीमती होने के कारण प्रतिवादी की नियत उस पर हमेशा खराब रहती है जिसके क्रम में दिनॉक—16.09.2020 को प्रतिवादी जे0सी0बी0 मशीन लेकर तथा अपने 8—10 अराजक साथियो के साथ हाथ में फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर विवादित स्थल पर आये और वादी की बाउण्ड्रीवाल गिराने लगे तथा जे0सी0बी0 मशीन द्वारा गढ्ढा खोदकर शौचालय गिराकर नीव खोदने का प्रयास करने लगे। वादी ने जब मना किया तो मार पीट करने का प्रयास करने लगे तब वादी ने आस पड़ोस के तमाम सम्भ्रान्त लोगो को इक्ट्ठा किया तब जाकर प्रतिवादी माने किन्तु प्रकरण का निस्तारण करने से साथ इन्कार कर दिया और धमकी दिया कि शीघ्र ही वह शौचालय व बाउण्ड्री की दीवाल तोड़कर पक्का निर्माण करेगे कब्जा कर लेगे। तब यह दावा हाजा दायर करने की नितान्त आवश्यकता हुई।

धारा 9—यह कि वाद का मूल कारण दिनॉक—16.09.2020 को वादी की बाउण्ड्रीवाल तोड़ने तथा शौचालय तोडने व नींव खोदकर जबरदस्ती पक्का निर्माण कर कब्जा कर लेने की धमकी देने के कारण ग्राम इकसारा पोस्ट शाहगढ़ तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी में पैदा हुआ जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।

धारा 10—यह कि वादग्रस्त भूमि की कीमत व पक्के निर्माण शौचालय व बाउण्ड्रीवाल की बाजारी कीमत मु0—5,50,000/रुपये कायम की जाती है चूँकि वाद स्थायी व्यादेश का है जिसका आधा 2,75,000/रुपये होता है चूँकि दावा स्थायी व्यादेश का है जिस पर वास्ते सुनवाई अधिकतम न्याय शुल्क 500/रुपये अदा किया जाता है।

याचना

वादी निम्न याचना का विनयी है—

अ—डिक्री स्थाई व्यादेश बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की प्रदान की जावे कि प्रतिवादी को हमेशा—हमेशा के लिए मना कर दिया जाय कि विवादित भूमि बरंग सुर्ख लाल अक्षर अ, ब, स, द नक्शा नजरी के पर स्थित ग्राम इकसारा परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला अमेठी उ0प्र0 वादी के शान्तिपूर्ण

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष संख्या—15 महोदय सुलतानपुर
रवीन्द्र कुमार यादव——बनाम——हरिभजन गुप्ता
सा0वा0सं0— /2020 दायरा दिनांक—

अध्यासन व कब्जा व दखल में व्यवधान पैदा न करे न ही और न ही बाउण्ड्रीवाल व शौचालय तोड़े न ही कोई गैर कानूनी कार्य करे।

ब–खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाय।

स–अन्य याचना जो न्यायोचित व न्यायसंगत हो वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाय।

विवरण वाद भूमि

रराहत आराजी मकान सं० 202 ग्राम इकसारा पोस्ट शाहगढ़ तहसील गौरीगंज परगना व जनपद अमेठी उ०प्र० संलग्न नक्शा नजरी में लाल लकीर से घेरकर अक्षर अ, ब, स, द से दिखाई गयी है।

विवादित भूमि की चौहद्दी

पूरब बाउण्ड्रीवाल 6 फिट बादहू खडन्जा मार्ग, पश्चिम तेजपाल यादव की चक, उत्तर मकान हरिवंश वादी, दक्षिण बाउण्ड्रीवाल बादहू अल्पिका नहर दक्षिन गॉव है। विवादित स्थल की लम्बाई और चौड़ाई 26X20 फिट है।

रवीन्द्र कुमार

रवीन्द्र कुमार प्रार्थी

मै वादी स्वयं तस्दीक करता हूँ कि वाद पत्र धारा 1 ता 9 मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है इसमें न तो कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है और धारा 10 व याचना के सही होने की उम्मीद करता हूँ। सच बोलने में ईश्वर मेरी मदद करे तस्दीक स्थान दीवानी न्यायालय सुलतानपुर।
तस्दीक दिनॉक 5/10/20

रवीन्द्र कुमार

रवीन्द्र कुमार यादव सुत राम कृपाल
निवासी ग्राम इकसारा पोस्ट शाहगढ़
तहसील गौरीगंज, परगना व जिला अमेठी

द्वारा

[signature] 5/10/20
अधिवक्ता

दिनॉक– 5/10/20

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष संख्या–15 महोदय सुलतानपुर
रवीन्द्र कुमार यादव————बनाम————हरिभजन गुप्ता
सा0वा0सं0– /2020 दायरा दिनॉक–

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष सं० 15 मलेद्य सुल्तानपुर

अनु/6

रवीन्द्र कुमार यादव —————————— वादी

हरिभजन गुप्ता —————————— प्रतिवादी

मूलवाद सं० —

दिनांक - 05.10.20

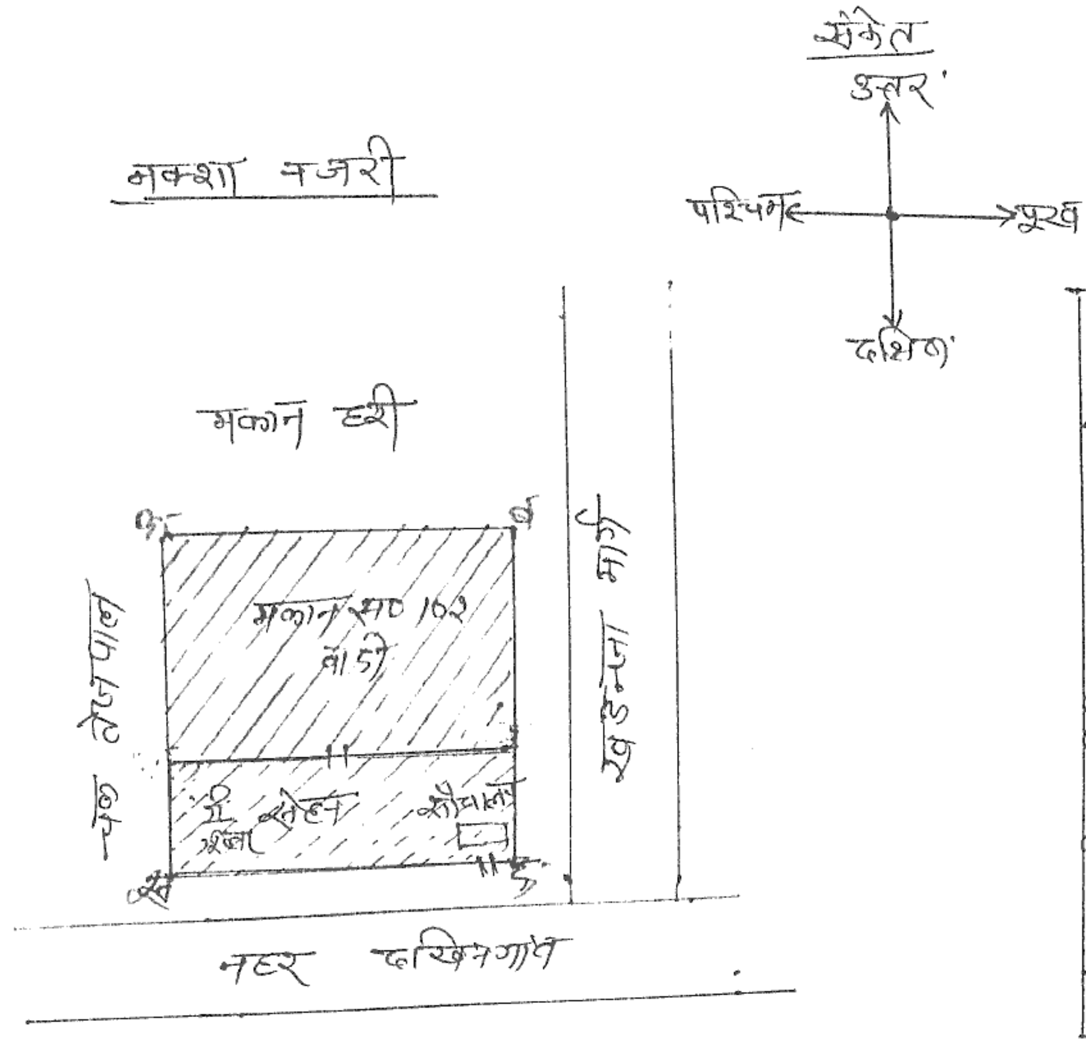

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) मलेद्य
कक्ष सं० 15 सुल्तानपुर। वाद सं० —
रवीन्द्र कुमार बनाम हरिभजन गुप्ता —

रवीन्द्र कुमार

प्रार्थी

रवीन्द्र कुमार यादव

(वादी)

द्वारा

अधिवक्ता

दिनांक - 05.10.20

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं0–15 सुलतानपुर

मूल वाद संख्या– 1301/20

रविन्द्र कुमार बनाम हरि नारायण

दिनांक 05/10/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ। अवलोकित। अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

आदेश

मूलवाद के रूप मे पंजीकृत हो। वाद दिनांक 05/11/20 को वास्ते बयान तहरीरी एंव दिनांक 12/11/20 को वास्ते विरचित किये जान वादविन्दु पेश हो। विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन मे करे।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),
कक्ष सं0–15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0।

6ग2 शपथपत्र।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया।

Scn. SW
12/11/20
(9K)

नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

06.10.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या–15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या–1301/2020
रवीन्द्र कुमार-----बनाम------हरिभजन गुप्ता।

दिनांक–06.10.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली को अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र को अपना मकान संख्या 102 व मकान संख्या 102 का सेहन की भूमि होना कहा है। वादी ने यह भी कथन किया है कि विवादित मकान व सेहन से प्रतिवादी का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। वह जबरदस्ती वाद भूमि पर कब्जा करना चाहता है। वादी ने अपने कथन के समर्थन में सूची 9ग1/1 से परिवार रजिस्टर की प्रति कागज संख्या 10ग1/1 व 11ग1/1 प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का नाम मकान संख्या 102 पर दर्ज है। वाद भूमि के बावत वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। अतः ऐसे में यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दिया जाता है और इस दौरान प्रतिवादी द्वारा वाद भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया जाता है तो वादी का वाद लाने का मकसद ही विफल हो जायेगा। अतः न्याय हित में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखे। वादी आदेश 39 नियम 3 सि0 प्र0 सं0 का अनुपालन करे। प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 05.11.2020 को पेश हो।

06.10.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

06.10.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

05/11/20 पुकारा गया वादी अनुपस्थित दिनांक 12/11/20 को आगामी कार्य हेतु पेश हो। प्रभारी

CN15

23/12/20

12.11.20 पुकार पर वादी अनुपस्थित। दिनांक 23.12.20 को वास्ते ... पेश हो। प्रभारी

[illegible] 23/12/20

CN16

23-12-20 – पुकार पर वादी अनुपस्थित P.O. महोदय अवकाश पर [illegible] में व्यस्त है दिनांक 30.01.21 को वास्ते आगामी कार्यवाही पेश हो। T.I. प्रभारी

C.N.16

30-01-21 – पुकार पर वादी अनुपस्थित दिनांक 31-03-21 को वास्ते आगामी कार्यवाही पेश हो। T.I. प्रभारी

31/03/21

C.N.15

31-03-21 – P.O. महोदय प्रशासनिक [illegible] में व्यस्त हैं दिनांक 20-05-21 को वास्ते आगामी कार्यवाही पेश हो। T.I. प्रभारी

[illegible] Aud 31/3/21
रवीन्द्र कुमार
[illegible] 31/3/21

C.N.15

20.5.21 GD 9.6.21
9.6.21 GD 26.8.21
TI प्रभारी

न्यायालय श्रीमान